कलेक्टर (2018 की सिविल अपील संख्या 6003–6004)

के माध्यम से 7 एस.सी.आर. 1105

विजय महादेवराव कुबाडे

बनाम महाराष्ट्र राज्य, 04 जुलाई, 2018

[एन. वी. रमन्ना और

मोहन एम. शांतनगौदर, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 – धारा 12 (2) – अधिनिर्णय की प्रभावी सूचना – भूमि अधिग्रहण – अधिनिर्णय पारित करना – अधिनिर्णय की प्रति दिनांक 04.12.1987 के नोटिस के साथ भू–स्वामी को नहीं भेजी गई – भू–स्वामी को 03.02.1988 को अधिनिर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई – इसके बाद, 09.02.1988 को भू–स्वामी ने मुआवजे में वृद्धि के लिए अधिनिर्णय के विरुद्ध संदर्भ दायर किया – हालांकि, संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे में वृद्धि के लिए संदर्भ दायर किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि 04.12.1987 के पत्र द्वारा 12(2) के तहत निर्णय की वैध सूचना तब तक नहीं दी जा सकती थी, जब तक कि भूमि मालिक को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हो जाती, जो उसने 03.02.1988 को की थी – इस प्रकार, 09.02.1988 को दायर वृद्धि के संदर्भ को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है ।

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा: 04.12.1987 का नोटिस, निर्णय के साथ नहीं था। इस मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (2) के तहत दिनांक 04.12.1987 के पत्र द्वारा निर्णय की वैध सूचना नहीं दी जा सकती थी, जब तक कि अपीलकर्ता को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त न हो जाए, जो उसने 03.02.1988 को की थी। इसलिए, वृद्धि के लिए संदर्भ, तदनुसार, सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। सीमा के बिंदु से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और अन्य बातों के साथ–साथ मुआवजे की मात्रा के संबंध में मामले के गुण–दोष के आधार पर मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। [पैरा 11, 12] [1110–ई, एफ]

प्रेमजी नाथू बनाम गुजरात राज्य और आंध्र प्रदेश। [2012] 3 एससीआर

1042: (2012) 5 एससीसी 250 – पर भरोसा किया।

1105 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

केस लॉ रेफरेंस [2012] 3 एससीआर 1042 पैरा 11 सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है: 2018

की सिविल अपील संख्या 6003-6004।2018 की सिविल अपील संख्या 6006-6007 के साथ 1996 की प्रथम अपील संख्या 116 और 31 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से, नागपुर बेंच, नागपुर में उपस्थित पक्षों की ओर से सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कोतवाल, रघुनाथ सेतुपति, गगन नारंग, सुश्री आस्था शर्मा, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, आरएस हेगड़े, सुश्री फरहत जहां रहमानी, चंद्र प्रकाश, राजीव सिंह, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय

एन. वी. रमना, जे. सिविल अपील संख्या 6003-6004/2018 (एसएलपी (सी) संख्या 27516-27517/2014 से उत्पन्न)

1. छुट्टी मंजूर कर ली गई।

2. ये अपीलें 14.07.2014 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जो बॉम्बे (नागपुर बेंच) में 1996 की प्रथम अपील संख्या 116 और 1996 की पहली अपील संख्या 31 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

3. इस मामले के निपटान के लिए मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक हो सकता है। यहां अपीलकर्ता का पूर्ववर्ती हित विवाद में संपत्ति का मालिक था। वर्ष 1985 में, अमरावती में नगर सेवा टर्मिनस के निर्माण के लिए डिवीजनल कंट्रोलर, एमएसआरटीसी कॉर्पोरेशन, अमरावती द्वारा विवादित भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया गया था। एमआरटीपी अधिनियम, 1966 की धारा 126 (4) के तहत अपेक्षित अधिसूचना जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ा जाता है, दिनांक 05.12.1985 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद इच्छुक पक्षों की आपत्तियों को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला परिषद कार्य, अमरावती द्वारा सुना गया। दिनांक 30.11.1987 के अंतिम आदेश द्वारा, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने एक पुरस्कार पारित किया, जिसमें विजय महादेवराव कुबाडे शामिल थे। महाराष्ट्र राज्य

। कलेक्टर [एन. वी. रमना, जे.]

प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को 5,83,366/– रुपये की राशि देय थी। दिनांक 21.12.1987 को, अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती हित को कलेक्टर/भूमि अधिग्रहण अधिकारी से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 30.11.1987 को अधिनिर्णय पारित किए जाने के बारे में सूचित किया गया था, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है– आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको उपर्युक्त मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में माना जा रहा है।
30.11.1987 को उक्त मामले में, मैंने 1894 अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा के तहत निम्नलिखित निर्णय सुनाया है। (1) प्लॉट नंबर 3 में भूमि का क्षेत्रफल 704.31 वर्ग मीटर है। (2) भूमि के मुआवजे के रूप में 2,58,849.00 रुपये की राशि दी जाए। (3) क्षतिपूत की राशि को निम्नानुसार विभाजित किया गया है:–

(2) आपको देय राशि रु.2,58,849.00 है। आपको व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 28.12.1987 को मेरे समक्ष उपस्थित होना चाहिए। आप विरोध के तहत मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं ताकि इस मामले के संबंध में सिविल कोर्ट को संदर्भ भेजने के आपके अधिकार में कोई बाधा न हो।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तविक निर्णय उपर्युक्त नोटिस के साथ संलग्न नहीं था और अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती हित को केवल 03.02.1988 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। दिनांक 09.02.1988 को अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती हित ने, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए मुआवजे से व्यथित होकर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुआवजे में वृद्धि के लिए अधिनिर्णय के विरुद्ध एक संदर्भ दायर किया। इस बीच, अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती हित को विरोध के तहत पुरस्कार राशि प्राप्त हुई थी, कि वृद्धि के लिए संदर्भ लंबित था।

4. संदर्भ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश की अदालत) ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, आंशिक रूप से संदर्भ की अनुमति दी और मुआवजे को 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया। यह ध्यान देने योग्य नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी प्राधिकरण ने सीमा पर कोई मुद्दा नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

5. दोनों पक्षों ने 1996 की प्रथम अपील संख्या 116 और 1996 की प्रथम अपील संख्या 31 के रूप में क्रॉस अपील दायर की और वर्तमान मामले को विभिन्न अन्य समान याचिकाओं के साथ संलग्न किया गया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.10.2010 के आदेश द्वारा परिसीमा के मुद्दे पर मामले को संदर्भ न्यायालय को वापस भेजते हुए मामले को निम्नलिखित तरीके से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रखा– पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और धारा 12 (2) नोटिस की प्रति के साथ रिकॉर्ड और कार्यवाही के अवलोकन पर, जिन्हें विद्वान सहायक सरकारी वकीलों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष इस तर्क के समय प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि न्याय के हित में यह आवश्यक होगा कि सीमा के मुद्दे को संदर्भ न्यायालय को भेजा जाए, जिसके निर्णयों से, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 25 के प्रावधानों को लागू करके अपील ों को प्राथमिकता दी जाती

है। चूंकि संदर्भ न्यायालय ने सीमा के मुद्दे को तैयार करने और प्रयास करने में विफल रहा है, जिसे अनिवार्य रूप से योग्यता के आधार पर संदर्भ आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले तय किया जाना चाहिए था।

इसलिए, इन सभी प्रथम अपीलों को उच्च न्यायालय में लंबित रखते हुए, परिसीमा के मुद्दे को सुनवाई के लिए संदर्भ न्यायालय को भेज दिया जाता है, ताकि पार्टियों को परिसीमा के मुद्दे पर दलीलों में संशोधन करने और उक्त मुद्दे पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। संदर्भ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इन सभी मामलों में परिसीमा के मुद्दे पर विचार करे और रिकॉर्ड को इस न्यायालय को वापस कर देगा और इसके कारणों के साथ परिसीमा के मुद्दे पर अपने निष्कर्षों के साथ रिकॉर्ड को इस न्यायालय को वापस कर देगा।

6. रिमांड पर, संदर्भ न्यायालय ने पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया और पक्षों को सुनने के बाद, इसने दिनांक 11.10.2011 को निर्णय और आदेश पारित किया। संदर्भ अदालत ने पाया कि पूर्ववर्ती हित ने सीमा की समाप्ति से पहले वृद्धि के लिए संदर्भ दायर किया था क्योंकि उन्हें 03.02.1988 को ही पुरस्कार की सामग्री के बारे में पता चला था, न कि जब पुरस्कार को सूचित करने वाला नोटिस भेजा गया था।
7. रिमांड पर संदर्भ न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। उच्च न्यायालय ने परिसीमा के मुद्दे से संबंधित विवाद पर फिर से विचार किया और दिनांक 14.07.2014 के आदेश द्वारा निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं ने विजय महादेवराव कुबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य टीएचआर दायर नहीं किया था।

कलेक्टर [एन. वी. रमना, जे.]

समय-सीमा के भीतर मुआवजे में वृद्धि के लिए संदर्भ, निम्नलिखित तरीके से-

10. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केएच देशपांडे द्वारा की गई अगली दलील यह है कि संदर्भ आवेदन में चुनौती या आधार उठाने के लिए पुरस्कार के बारे में विवरण केवल पुरस्कार की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण के कार्यालय का दौरा करने के बाद ही उपलब्ध हो सकता है।28 दिसंबर, 1987 को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिकारी का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि दावेदारों को चुनौती देने के लिए पुरस्कार के विवरण के साथ तैनात किया गया था। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सभी दावेदारों को 28 दिसम्बर, 1987 को मुआवजा मिला था और इसलिए, रचनात्मक और व्यावहारिक रूप से, उन्हें पुरस्कार की सामग्री और विवरण के बारे में जानकारी के साथ पोस्ट किया जाना चाहिए
।8. उपरोक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

9. इन सिविल अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा मुख्य तर्क यह दिया गया है कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम,

1894 की धारा 12 (2) के अधिदेश के अनुसार अपीलकर्ता को अधिनिर्णय की प्रभावी सूचना प्रदान की गई थी?

10. याचिकाकर्ता सुश्री बांसुरी स्वराज के विद्वान वकील, प्रेमजी नाथू बनाम गुजरात राज्य और उत्तर, (2012) 5 एससीसी 250 के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें इस अदालत ने अंडर –20 के रूप में देखा है । उपरोक्त के प्रकाश में, यह देखा जाना है कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को समय द्वारा रोक दिया गया था, कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं।

21. धारा 18 (1) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन के पैरा 2 में निहित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि धारा 12 (2) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस उन्हें 22–2–1985 को दिया गया था। इसके बाद, उनके वकील ने फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और अदालत को संदर्भ देने के लिए 8–4–1985 को आवेदन दायर किया। इसका तात्पर्य यह है कि पुरस्कार की प्रति अपीलकर्ता को नोटिस के साथ नहीं भेजी गई थी और इसके बिनावह प्रभावी रूप से संदर्भ मांगने के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

22. राज्य सरकार की ओर से, संदर्भ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि अधिनिर्णय की प्रति अपीलकर्ता को नोटिस के साथ भेजी गई थी। दुर्भाग्यवश, मुद्दा 3 पर निर्णय लेते समय, संदर्भ न्यायालय द्वारा इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है,जिसने यांत्रिक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि 8–4–1985 को दायर आवेदन धारा 18 (2) (बी) में निर्दिष्ट समय से परे था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने संदर्भ न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देकर गंभीर त्रुटि भी की, हालांकि इस तथ्य पर विचार किए बिना कि धारा 12 (2) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस के साथ फैसले की प्रति नहीं थी, जो धारा 18 (1) के तहत संदर्भ प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता में निहित अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक था।(जोर दिया गया)

11. सरकार की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने कानून के उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद नहीं किया है। तदनुसार, हमारी राय है कि उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं क्योंकि 4.12.1987 के नोटिस के साथ निर्णय नहीं दिया गया था। इस मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (2) के तहत दिनांक 4.12.1987 के पत्र द्वारा निर्णय की वैध सूचना नहीं हो सकती थी, जब तक कि अपीलकर्ता को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हो जाती, जो उसने 03.02.1988 को की थी। इसलिए, वृद्धि के लिए संदर्भ, तदनुसार, सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

12. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम सीमा के बिंदु से संबंधित उच्च न्यायालय

के आदेश को रद्द करते हैं और अन्य बातों के साथ–साथ मुआवजे की मात्रा के रूप में मामले के गुण–दोष के आधार पर मामलों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजते हैं। लंबे समय से लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले का शीघ्र निपटान करे।

13. अपीलों का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।2018 की सिविल अपील संख्या 6006–6007 (एसएलपी (सी) संख्या 16339–16340/2018 से उत्पन्न) (एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न) 2014 का सीसी नंबर 17187)

14। विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। विजय महादेवराव कुबादे वाई। महाराष्ट्र राज्य। कलेक्टर [एन. वी. रमना, जे.]

15. 1996 की प्रथम अपील संख्या 35 से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 को हटाने के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

16. छुट्टी दी गई।

17. चूंकि ये अपीलें बंबई उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) द्वारा पारित दिनांक 14.07.2014 के उसी आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं और कानून का एक ही प्रश्न होने के कारण, इन अपीलों का निपटान भी ऊपर निर्धारित चर्चा की अगली कड़ी में किया जाता है।

निधि जैन अपीलों का निपटारा।

Digitally signed by Sadhana Kumari Gupta
Date: 2023.10.28 16:40:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court